शोध मंथन Vol. XIV No.I Jan.-Mar.2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

भारत में महिला सशक्तिकरण का विरोधाभास

डॉ० सीमा रानी
अस्सिटेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
बी०डी०एम० म्यू कन्या स्नातकोतकर महाविद्यालय
शिकोहाबाद
ईमेलः *raniseemadrseema101@gmail.com*

प्राप्तिः 28.02.2023
स्वीकृतः 15.03.2023

7

सारांश

'महिला सशक्तिकरण' एक ऐसा विषय जो सदैव सारगर्भित रहा है और रहेगा। किसी भी देश की यदि आधी आबादी सशक्त नहीं है, तो वह राष्ट्र कभी भी अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकता है। चाहे गाँधी हो, विवेकानंद हो नेहरू हो या बाबा भीमराव अंबेडकर सभी ने यह स्वीकार किया है कि एक राष्ट्र की प्रगति महिलाओ के विकास पर आधारित है। भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्षो मे अनेक सफलताएं प्राप्त की है भारतीय महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रही है, राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित कर रही है। इसके पश्चात् आज भी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में पिछडी है, लैंगिक विषमता का शिकार है, वो दिनों में नहीं मिनटों के हिसाब से उत्पीडित हो रही है। भारत की 49% लगभग आधी आबादी आज भी सुरक्षा, गतिशीलता, आर्थिक स्वतंत्रता पूर्वाग्रह और पितृसत्ता जैसे मुददों से जूझ रही है। विश्व की सर्वाधिक बाल–वधू भारत में है। विभिन्न अंतराष्ट्रीय मानकों में भारत महिलाओ के संदर्भ में पीछे है हमे उन कारणो को न केवल पहचानना होगा जो महिलाओ को पीछे कर रहे है, बल्कि उन पर काम भी करना होगा।

'महिला सशक्तिकरण' यह शब्द कई दशकों से भारतीय समाज, राजनीति में छाया हुआ है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि महिला को सशक्त किये जाने की आवश्यकता है। आखिर महिला सशक्तिकरण है क्या? क्या महिला इतनी निर्बल है कि उसे सशक्त किये जाने की आवश्यकता है? हम कब कहेंगें कि एक महिला सशक्त है या फिर किसी समाज या राष्ट्र की महिलाएं सशक्त हो चुकी है।

महिला सशक्तिकरण के विविध पक्ष है यथा सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक हम इन सभी पर प्रकाश डालेगें, प्रश्न यह भी है कि क्या भारत में महिला सशक्त नहीं रही है जो आज उसके सशक्तिकरण की बात की जा रही है? 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं' जैसे कार्यक्रमों को लाया जा रहा है। कहते है इतिहास वो खिड़की है जिससे आप भविष्य को देखते है अगर हम महिलाओं के संदर्भ में भारतीय इतिहास को देखते है तो यह स्पष्ट होता है, कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी यह साक्ष्य प्राप्त होते है कि महिलाओं का समाज में सम्मानजनक स्थान था, उन्हें पूजा जाता था। वैदिक काल में भी हमें महिलाओं के संदर्भ में किसी प्रकार के लैंगिक–भेदभाव, उत्पीड़न, संकीर्णता के साक्ष्य नहीं

मिलते है वरन् स्त्रियों को पुरूषों के समान शैक्षिक सामाजिक अधिकार प्राप्त थे वो अपना वर स्वंय चुनती थी। 'शतपथ' ब्राहमण' में नारी को अर्द्धांगिनी, सहधर्मिणी कहकर संबोधित किया गया है। 'मनु स्मृति 03/56111' में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता!! मत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः कियाः।' जहां नारियों की पूजा होती है वहॉ देवता निवास करते है और जहां इनकी पूजा नहीं होती वहां सभी कार्य निष्फल होते है। पर यही मनु यह भी कहते है कि स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में पुरूष पर आश्रित होना चाहिए वह पुरूष क्रमानुसार पिता, पति पुत्र होता है। प्राचीन से मध्यकाल तक आते–आते विभिन्न कारणों से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी बाल–विवाह, सती–प्रथा, अशिक्षा, विधवा–विवाह ना होना एंव बहु विवाह जैसी विभिन्न कुप्रथाओं से महिलाएं ग्रसित हो गयी और जब भारत मे पुनजार्गरण के प्रणेता राजाराममोहन राय ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए एक सकारात्मक पहल सती–प्रथा पर रोक को आरम्भ किया आगे भी विधवा–पुनर्विवाह बाल–विवाह पर रोक जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आये। और स्वतंत्र भारत के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें गॉधी जी के आहवान् पर बढचढ़ कर भारतीय महिलाओं ने हिस्सा लिया, उनकी इस भूमिका का ही सकारात्मक परिणाम था कि भारत का जो संविधान बना उसमें लैंगिक समानता को विशेष स्थान दिया गया।

सविधान निर्माताओं मे मुक्त हदय से यह माना कि स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी के बिना प्राप्त की गयी स्वतंत्रता खोखली होगी यही कारण है कि वर्ष 1950 में अंगीकार किया गया 'भारतीय संविधान' महिला पुरूष समानता की दृष्टि से एक प्रगतिशील अभिलेख है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार नीति–निदेशक तत्व व संविधान के अन्य प्रावधान महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के साथ–साथ राज्य को उनके लिए विशेष प्रावधान स्थापित करने के प्रावधान करते है। यहीं कारण है कि भारत सरकार द्वारा महिला संरक्षण के लिए विविध संरक्षणात्मक कानूनों का निर्माण किया गया अनेक आयोगों की स्थाना की गयी इसमे वर्ष 1992 में स्थापित किया गया 'राष्ट्रीय महिला आयोग' प्रमुख है वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण' वर्ष भी घोषित किया गया। विभिन्न कानूनों के बाद भी यह विरोधाभासी स्थिति ही थी, कि जैसे जैसे महिलाओं के संरक्षण के लिए कानूनों की वृद्धि होती गयी वैसे–वैसे महिला अपराध भी बढ़ते गये उनकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे भारत की महिलाओं की स्थिति का व्यापक सर्वे विश्लेषण के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जिसका शीर्षक 'समानता की और एक अपूर्ण कार्य भारत में महिलाओं की स्थिति 2001' था इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया, कि महिलाओं की स्थिति में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी प्रयासों के पश्चात् भी कोई विशेष अन्तर नहीं आया है, अपितु उनकी स्थिति खराब ही हुई है। प्रशासनिक न्यायिक विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का अभाव है। अतः महिला सशक्तिकरण के लिये व्यापक स्तर पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है यद्यपि महिलाओं ने विकास की यात्रा की है इस लंबी विकास यात्रा में कुछ कानूनी अधिकार मिल जाने से भाग लेने से महिलाओं को सशक्त नहीं माना जा सकता, धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की इस रिपोर्ट ने सरकार और समाज को सोचने पर विवश कर दिया। इसके पश्चात् भी महिलाओं के लिये विभिन्न योजनाएं विधियां बनी इन सबके प्रकाश में आज अगर भारत में महिला सशक्तिकरण को देखे तो यह स्पष्ट

होता है कि इस संदर्भ में हमें एक विरोधाभासी स्थिति दिखाई देती है, जिसे महिला सशक्तिकरण के विभिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है।

सामाजिक स्थिति

यदि सामाजिक स्तर पर देखा जाये तो यह स्पष्ट होता है, कि भारत में व्यापक स्तर पर लैंगिक अंतराल विद्यमान है। यद्यपि पिछले दो दशकों में कुछ सुधार देखा गया है वर्ष 2001 में भारत में लिंगानुपात 933 था जो वर्ष 2011 में प्रति 1,000 पुरूषों पर 943 हो गया है, बालिकाओं के प्रति भेद–भाव और लिंग चयनात्मक गर्भपात इसके लिए उत्तरदायी है 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोश की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022' के अनुसार भारत में हर दिन असुरक्षित गर्भपात जुडे कारणों से आठ महिलाओं की मृत्यु हो जाती है जिससे असुरक्षित गर्भपात देश में मातृ–मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण बन जाता है। 'मिसिंग फीमेल्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पोपुलेशन वर्ष 2020' में लापता महिलाओं को परिभाषित किया गया है जिसका कारण प्रसवोत्तर और प्रसव पूर्व लिंग चयन के संचयी प्रभाव है, दुनिया की 14.26 करोड़ ''लापता'' महिलाओं में से 4.6 करोड़ भारत की है। आजादी के 75 वर्षो के पश्चात भी 'जननी को जनने दो जन्मी को जीने दो' जैसे आंदोलन की आवश्यकता आन पड़ी है लड़की जीवित रह जाये तो भी उसके प्रति होने वाले अपराधों में कोई कमी नहीं है।

एक दुःखद तथ्य यह भी है कि भारत में आज भी बाल–विवाह व्यापक स्तर पर हो रहे है। भारत में हर वर्ष 18 साल से कम आयु की लगभग 5 मिलियन लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है जो भारत को सर्वाधिक बाल वधुओं वाला देश बनाता है बाल–वधुओं की कुल वैश्विक संस्था का एक तिहाई भारत में मौजूद है। इसके अतिरिक्त विभिन्न तथ्य् यह भी स्पष्ट करते है, कि महिलाओं के प्रति बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार उत्पीड़न, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2018 मे औसतन हर 15 मिनट में एक बलात्कार की घटना देखी गई। NFHS-5 डेटा में पाया गया कि भारत में एक तिहाई महिलाओं ने शारीरिक यौन हिंसा का अनुभव किया है। 18 से 49 वर्ष की आयु के बीच 30% महिलाओं ने 15 साल की आयु से शारीरिक हिंसा का अनुभव किया 6% ने अपने जीवनकाल में यौन हिंसा का अनुभव किया घरेलू हिंसा के आँकड़े इससे अलग है, पढ़ी–लिखी अनपढ़ महिलाएं दोनो समान रूप से घरेलू हिंसा की शिकार है। कुछ वर्ष पूर्व घरेलू हिंसा की शिकार एक्टिविस्ट–लॉचर और संस्था मजलिस की फाउन्डर फ्लेविया एग्नेस की आत्मकथा पढ़ी जिससे पता चला कि कैसे एक उच्च अधिकारी की शिक्षित पत्नी मारपीट का शिकार होती है सुबह मार खा कर शाम को पर्टियों का हिस्सा बनती है और अंतत घर छोडने का फैसला करती है। 'घरेलू हिंसा अधिनियम 2005' घरेलू हिंसा के अन्तर्गत न केवल शारीरिक वरन् मानसिक हिंसा को भी स्वीकार करता है, लेकिन हर प्रकार की हिंसा से आज महिला ग्रसित है। यद्यपि यह प्रवृति मात्र भारत तक सीमित नहीं है 'अमेरिका में स्त्रीवादी आंदोलनों की एक प्रमुख आवाज और प्रसिद्ध स्त्रीवादी 'ग्लोरिया स्टायनेम' से इसे 'पितृसत्तात्मक (Patriarchal) हिंसा' का नाम दिया है और इसे महिलाओ के प्रति होने वाली दुनिया की सभी हिंसाओं की जड़ माना है। पितृसत्ता का गढ़ है परिवार, जो शादी से बनता है स्त्री पुरूष के मिलन से जिसमें स्त्री को दोयम् दर्जा मिलता है।

शैक्षिक व आर्थिक पक्ष

शिक्षा वैचारिक क्रांति को लाने का आत्मनिर्भर जीवन का सशक्त माध्यम है शिक्षा महिला–पुरूष दोनो के लिए समान रूप से सार्थक है। भारत में हम यदि महिला शिक्षा की बात करे तो स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता पुरूषों की अपेक्षा कम है, वर्ष 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर 64.46% थी जबकि पुरूष साक्षरता दर 82.14% थी। NFHS-5 रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि महिला शिक्षा नामांकन में वृद्धि हुई है लेकिन यह भी तथ्य है कि वर्ष 2012 और वर्ष 2021 के बीच प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों में लड़कों की तुलना में कम संख्या मे लड़कियों ने प्रवेश लिया। 'यूनिफाइड डिस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+)' के अनुसार वर्ष 2020 –21 में 14.2% लड़कियाँ माध्यमिक स्तर पर बाहर हो गई जबकि 1% ने वर्ष 2019–20 में बीच में पढ़ाई छोड़ दी। शिक्षा के अनुपात में लड़कियों की आर्थिक भागीदारी भी अपेक्षाकृत कम है। 'सेंटर फॉर मॉनीटरिंग डंडियन इकॉनमी (CMIE)' की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021–22 में लगभग 9% महिलाएं कार्यरत थी या नौकरी की तलाश में थी भारत में महिलाओं की तुलना में पुरूषों के रोजगार की संभावना अधिक बनी हुई है। 75% पुरूषों की तुलना में, वर्तमान में लगभग 25% महिलॉए कार्यरत है यह स्थिति तब है जब सरकार की और से महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है जैसे–पेड मैटरनिटी लीव, सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति आदि। जो महिलाएं कार्य कर भी रही है अधिकांशतः कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही है, पुरूष पूर्वाग्रह को भोग रही है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व

भारत में राजनीतिक स्तर पर महिला सहभागिता की बात करें तो हम शीर्ष पर एक महिला को पाते है, भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में एक महिला का राष्ट्रपति पद पर विद्यमान होना निश्चित् ही गौरव का विषय है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पदो को अनेक महिलाओ ने सुशोभित किया है। भारतीय संविधान बिना किसी प्रकार के भेद–भाव के पुरूष और महिलाओं को समान रूप से राजनीतिक सहभागिता का अधिकार देता है। इतना ही नहीं लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में 73 वां 74 वां संविधान संशोधन एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके अन्तर्गत हजारों महिलाओं ने राजनीतिक सहभागिता कर तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र को नवीन दिशा दी। परन्तु भारत में महिलाओं की जो राजनीतिक सहभागिता है वह अपेक्षाकृत कम है भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम् तथ्यों के अनुसार अक्टूबर 2021 तक संसद के कुल सदस्यों मे मात्र 10.5% महिलाए है। भारत में स्थित समस्त राज्यों की विधान सभाओं में औसतन मात्र 9% महिला विधायक है चुनावी प्रतिनिधित्व के विषय में अंतर–संसदीय संघ की संसद में महिला प्रतिनिधियों की संस्था में भारत वैश्विक रैंकिग में वर्ष 2014 के 117 वें स्थान से जनवरी 2020 तक 143वें स्थान पर आ गया है इस संदर्भ में भारत पाकिस्तान (106) बांग्लादेश (98) और नेपाल (43) से पीछे है। महिलाओं के कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रमुख कारण भारत में लिंग संबंधी रूढ़ियाँ, प्रतिस्पर्द्धा, राजनीतिक शिक्षा की कमी और राजनैतिक जागरूकता का अभाव है।

महिलाओं के पीछे रहने के कारण

वास्तव में हमें विश्लेषण करना होगा कि वो कौन से कारक हो जो महिलाओं को सशक्त नहीं होने दे रहे है उन्हे पृष्ठभूमि में डाल रहे है इसके विविध सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक राजनैतिक कारण है। सामाजिक कारणों में हम देख सकते है कि भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है। आज भी लड़की की परवरिश, कुछ अलग ढंग से की जाती है, वो एक सम्पत्ति है, गिरवी रखी वस्तु है जिसे समय आने पर उसके मालिक को सौपा जाना है, दान किया जाना है। उसे आरम्भ से ही स्वतंत्र निर्णय के अधिकार से वंचित किया जाता है, धीरे–धीरे स्थिति यह हो जाती है, कि लड़की स्वतंत्र निर्णय लेना ही भूल जाती है। आजादी के इतने वर्षो बाद भी यह स्थिति दुखद् है स्त्रियां कब स्वतंत्र रही है चाहे वो प्रेमचंद्र के उपन्यास की नायिका निर्मला हो या आज की स्त्री। स्त्री स्वतंत्रता के विषय में एक बार विनोबा भावे जी ने कहा था कि ''आज स्त्रियां स्वतंत्र नहीं है, ऐसी स्त्री स्वपनवत् हो गयी है। आज उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रह गया है, वे स्वतंत्र रूप से जीती ही नही है, इसलिए किसी की पत्नी, किसी की बहन के नाते ही उनका परिचय दिया जाता है।'' ये कथन आज भी सार्थक प्रतीत होता है। शैक्षिक कारणों में हम देखते है कि उच्च शिक्षा से आज भी लड़किया वंचित है, उससे भी ज्यादा दुःखद सत्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों कस्बों में जो लड़किया आज शिक्षा प्राप्त कर रही है, वो बस शिक्षा ले रही है उनका विजन स्पष्ट नहीं है, कि उन्हे करना क्या है? बस वो शादी करने के लिए पढ़ रही है और शादी के बाद सब गायब, कुछ लड़किया उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छे सम्पन घरों की बहू बन जाती है जहाँ उन्हें काम करने की आवश्यकता महसूस होती ही नहीं है, वो अनुत्पादक हो जाती है। जो लड़किया शिक्षा प्राप्त करके कार्यस्थल पर जाती है वो दोहरी अपेक्षाओं का शिकार होती है काम करने के साथ–साथ उनसे परम्परागत महिला वाली ही अपेक्षा की जाती है वो बाहर जाकर कमाये भी और घर में पूर्ण आदर्श महिला का किरदार निभाये। यह अपेक्षा उससे आर्थिक ही नहीं वरन् राजनीतिक क्षेत्र में की जाती है यही कारण है कि तष्णमूल स्तर आरक्षण दिये जाने के पश्चात जो महिलाएं सरपंच और नगर अध्यक्ष बनी उनकी भूमिका रबर स्टैम्प तक रहीं सारा कार्य प्रधानपति या बेटे द्वारा किया गया, कहीं–कहीं तो उनके पास स्टैम्प प्रयोग का अधिकार भी नहीं था, उसका प्रयोग उनके संबंधी पुरूष ही कर रहे थे। इसके अतिरिक्त राजनीतिक निर्णय–निर्माण में पारदर्शिता की कमी और अलोकतांत्रिक आंतरिक प्रक्रियाएँ भी एक चुनौती पेश करती है, महिलाएँ इससे विशेष रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि उनके पास राजनीतिक नेटवर्क की कमी होती है साथ ही राजनीतिक दलों का माहौल भी महिलाओं के अनुकुल नहीं है उन्हें पार्टी में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कई स्तर पर अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को भी हमें समझना होगा।

महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा उन कई बाधाओं में से एक है जो उनकी गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है और श्रम बल भागीदारी की संभावना को कम करती है। महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध अपराध रोकने के लिए नीतियों और हस्तक्षेपों के निर्माण में सेवाओं का दृष्टिकोण, महिलाओं के सशक्तिकरण में युवा हस्तक्षेप पर केंद्रित सुरक्षा ढाँचे को अपनाना एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है।

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत में महिलाए प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ी है, चाहे वह क्षेत्र सामाजिक आर्थिक शैक्षिक राजनैतिक साहित्य खेल का हो, हमें ज्ञात है कि टोक्यों ओलंपिक 2020 में भारत ने शुरू में जो तीन मेडल भारत ने जीते, वे तीनों महिलाओं के नाम थे ये तीन मेडल भारत की बेटी मीराबाई चानू पी वी सिंधु और लवलीन बोगर्हि ने प्राप्त किये।

भारत की प्रथम नागरिक भी एक महिला है लेकिन स्थिति का दूसरा पक्ष भी है, आज भी व्यापक स्तर पर महिला अशिक्षा, उत्पीड़न, भेद–भाव जैसी स्थितियां विघमान है। आवयश्कता है तृणमूल स्तर पर कार्य किया जाये, इसके लिए हमें प्रशासन को प्रत्यके स्तर पर संवेदनशील करने, व्यापक स्तर पर जेंडर सेंसटाईजेशन की आवश्यकता है, साथ ही आवश्यकता है कि महिलाएं स्वंय अपने आत्मबल को जागष्त करें, अपने सोचने–विचारने ने की शक्ति का प्रयोग करे, साहस कर अपने निर्णय ले और उन निर्णयों पर अड़िग रहे। गाँधी जी ने एक बार कहा था कि सोते हुए को जगाया जा सकता है परन्तु जो व्यक्ति जागा हुआ है और सोने जैसी स्थिति में है उसे कैसे जगाया जा सकता है महिलाओं के स्वंय भी चैतन्य होने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. आचार्य बसु, डॉ० दुर्गा दास. (1997). भारत का संविधान एक परिचय'. प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया।
2. 'समानता की और एक अपूर्ण कार्य भारत में महिलाओं की स्थिति 2001'. राष्ट्रीय महिला आयोग।
3. सिंह, प्रो० अर्चना., सिंह, डॉ0 अल्पना. (2023). आजादी की पच्चहत्तर वर्षीय विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका. विकास प्रकाशनः कानपुर. प्रथम संस्करण.
4. नवभारत टाइम्स सम्पादकीय लेख. (2023). ''औरतो से हिंसा के पीछे क्या है सोच''. दिनांक 26 जनवरी।
5. द हिंदू लेख. Diversigying plates for Girl"s". 26.5.2022 दृष्टि The vision मे उल्लेख।
6. लाइवमिंट एडिटोरियल. "Crimes Against women keep them out of the job market". 01.12.2021 दृष्टि The vision मे उल्लेख।
7. दृष्टि टू द पॉइन्ट भारत (भाग II). 14 Sep 2022. शासन व्यवस्था।
8. इंडियन एक्सप्रेस के प्रकाशित लेख. "The 40 percent promise". 22/10/2021.
9. भावे, आचार्य विनोबा. (1994). 'स्त्री शक्ति'. सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाटः वाराणासी. जून।